

20/08/2021
 कपीदाबाद I.O.C
 उप वन संरक्षक

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि विधायक केस में आप द्वारा डीटीओ तथा पी० डबल्यू० डी० विभाग की एन०ओसी० नहीं भेजी गई है। आप द्वारा उक्त के संबंध में जो दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें डीटीओ विभाग द्वारा विधायक स्थल पी०एल०पी०ए० 1900 की धारा 4 व 5 में होने के कारण एन०ओसी० देने से स्पष्ट रूप से मना किया गया है। यह आपको सूचनाई प्रेषित है।

विषय
 Diversion of 2.031 ha. Forest land for MVN School along Surajkund Badkhal Road
 Distt. Faridabad (Haryana).

श्रीमति कान्ता शर्मा, भूनेजर,
 भूनेजर मार्टिन विद्या निकेतन, सेक्टर 17,
 कपीदाबाद।

सेवा में

कमांक 649

दिनांक 20-8-2021

हिरयाणा सरकार
 कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, कपीदाबाद
 गाई पास रोड, नवदीक रोड मार्टिन, सेक्टर-14, कपीदाबाद, हरियाणा 0129-2286760